भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3033
दिनांक 06 दिसम्बर, 2019 को उत्तर के लिए

पीएमएमवीवाई के अन्तर्गत मातृत्व लाभ

3033. श्री डी॰एन॰वी॰ सेंथिलकुमार एस॰:
डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हे:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
डॉ॰ सुभाष रामराव भामरे:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का धनराशि की कमी के कारण दो की बजाय केवल पहले बच्चे के लिए मातृत्व लाभ की अनुमति देने का विचार है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार ने कुपोषण और रुग्णता, जो दूसरी बार गर्भावस्था के दौरान अधिक होती है, के खतरे को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं;
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या सरकार का महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित देश के सभी भागों में प्रधनमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अन्तर्गत सभी गर्भवती महिलाओं को 6000 रुपये की दर पर मातृत्व लाभ प्रदान करने का विचार है;
(च) चालू वर्ष के लिए वार्षिक लक्ष्य क्या हैं और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अब तक कितनी महिलाएं इस योजना का लाभ उठा रही हैं; और
(छ) देश में पीएमएमवीवाई योजना की सफलता हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी — महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) एवं (ख) : प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के अन्तर्गत मातृत्व लाभ पात्र लाभार्थियों को प्रथम जीवित बच्चे के लिए उपलब्ध हैं । सामान्यत: महिला की प्रथम गर्भावस्था में उसे नए प्रकार की चुनौतियों तथा तनाव कारकों का सामना करना पड़ता है । अत: यह स्कीम माता को सुरक्षित प्रसव और उसके प्रथम जीवित बच्चे के टीकाकरण के लिए सहायता प्रदान करती है ।

(ग) एवं (घ) : सरकार ने कुपोषण के मुद्दे को उच्च प्राथमिकता दी है और यह देश में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्या का समाधान करने के लिए प्रत्यक्ष लक्षित हस्तक्षेपों के रूप में अम्ब्रैला समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) स्कीम के तहत विभिन्न स्कीमों जैसे आंगनवाड़ी सेवाएं, किशोरियों के लिए स्कीम और प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) क्रियान्वित कर रही है ।

सरकार ने वर्ष 2017-18 से शुरू तीन वर्ष की समयावधि के लिए 18.12.2017 को पोषण अभियान का गठन किया है । पोषण अभियान का लक्ष्य नीचे दिए गए नियत लक्ष्यों के साथ 3 वर्ष की अवधि के दौरान समयबद्ध ढंग से 0-6 वर्ष की आयु वाले बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषणात्मक स्थिति में सुधार हासिल करना है :

क्र.सं.	उद्देश्य	लक्ष्य
1	बच्चों (0-6 वर्ष) में ठिगनेपन का निवारण एवं उसमें कमी लाना	2% प्रतिवर्ष की दर से 6 % तक
2	बच्चों (0-6 वर्ष) में अल्प-पोषण (अल्प वजन की व्याप्तता) का निवारण एवं उसमें कमी लाना	2% प्रतिवर्ष की दर से 6 % तक
3	छोटे बच्चों (6-59 माह) में रक्ताल्पता की व्याप्तता में कमी लाना	3% प्रतिवर्ष की दर से 9 % तक
4	15-49 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं एवं किशोरियों में रक्ताल्पता की व्याप्तता में कमी लाना	3% प्रतिवर्ष की दर से 9 % तक
5	जन्म के समय अल्प वजन (एलबीडब्ल्यू) में कमी लाना	2% प्रतिवर्ष की दर से 6 % तक

अभियान का लक्ष्य, जीवनचक्र अप्रोच के ज़रिए तालमेल और परिणामोन्मुख अप्रोच अपनाकर देश में चरणबद्ध ढंग से कुपोषण को कम करना है । अभियान के तहत समयबद्ध सेवा प्रदायगी और दृढ़ मॉनीटरिंग तथा अंत:क्षेप अवसंरचना के लिए मैकेनिज्म की व्यवस्था है । इस अभियान का लक्ष्य वर्ष 2022 तक 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में ठिगनेपन को 38.4% से कम करके 25% करना है । इस अभियान के तहत की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों में विभिन्न अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिसरण; सेवाप्रदायगी और हस्तक्षेपों को सुदृढ़ करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर; पोषण पहलुओं के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए जन आंदोलन निमित सामुदायिक जुटाव एवं जागरुकता एडवोकेसी; अग्रणी कार्यकर्ताओं का क्षमता निर्माण, लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना आदि सुनिश्चित करना है ।

(ड) : प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत मातृत्व लाभ महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित देश के सभी भागों में ऐसी महिलाओं, जो केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में नियमित आधार पर रोजगार में हैं या जो वर्तमान में प्रवृत्त किसी भी कानून के तहत इस प्रकार का लाभ ले रही हैं, को छोड़कर सभी गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं (पीडब्ल्यूएंडएलएम) को प्रथम जीवित बच्चे के लिए उपलब्ध है । पीएमएमवीवाई के तहत, पात्र पीडब्ल्यूएंडएलएम को गर्भावस्था और स्तनपान कराने की अवधि के दौरान तीन किश्तों में 5,000/- रूपए का मातृत्व लाभ प्रदान किया जाता है । पात्र लाभार्थी संस्थागत प्रसव के उपरांत जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत मातृत्व लाभ के प्रति अनुमोदित मानदंडों के अनुसार शेष नकद प्रोत्साहन भी प्राप्त करता है ताकि औसतन एक महिला 6000/- रूपए प्राप्त करे ।

(च) : वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं । तथापि, पीएमएमवीवाई संभवत: प्रतिवर्ष 51.70 लाख लाभार्थियों को कवर करती है । स्कीम का अभी तक लाभ उठा रहे लाभार्थियों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या संलग्न है ।

(छ) : पीएमएमवीवाई की इसके सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए और राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशालाओं के जरिए समय-समय पर समीक्षा की जाती है । स्कीम के क्रियान्वयन में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आड़े आने वाली ऑपरेशनल समस्याओं, जब भी कभी बताई जाए, का परस्पर/तकनीकी विचार-विमर्श के जरि समाधान किया जाता है ।

*****

अनुलग्नक

'पीएमएमवीवाई के अन्तर्गत मातृत्व लाभ' विषय पर श्री डी॰एन॰वी॰ सेंथिलकुमार एस, डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हे, श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे, डॉ॰ सुभाष रामराव भामरे, श्री कुलदीप राय शर्मा, तथा श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले द्वारा दिनांक 06.12.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3033 के उत्तर के भाग (ड) में संदर्भित विवरण

प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) के तहत स्कीम का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लाभार्थियों की संख्या
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	4,023
2.	आंध्र प्रदेश	8,08,112
3.	अरुणाचल प्रदेश	11,937
4.	असम	3,84,463
5.	बिहार	8,66,808
6.	चंडीगढ़	14,969
7.	छत्तीसगढ़	3,20,612
8.	दादर और नगर हवेली	5,443
9.	दमन और दीव	3,093
10.	दिल्ली	1,26,292
11.	गोवा	11,737
12.	गुजरात	5,85,825
13.	हरियाणा	3,48,926
14.	हिमाचल प्रदेश	1,21,560
15.	जम्मू और कश्मीर	1,09,260
16.	झारखंड	3,38,222
17.	कर्नाटक	6,73,749
18.	केरल	4,00,665
19.	लक्षद्वीप	650
20.	मध्य प्रदेश	14,45,609
21.	महाराष्ट्र	12,93,585
22.	मणिपुर	27,248
23.	मेघालय	15,822
24.	मिजोरम	15,841
25.	नागालैंड	14,664
26.	ओडिशा	7
27.	पुद्दुचेरी	13,299
28.	पंजाब	2,49,023
29.	राजस्थान	9,81,685
30.	सिक्किम	6,069
31.	तमिलनाडु	4,81,528
32.	तेलंगाना	3
33.	त्रिपुरा	48,512
34.	उत्तर प्रदेश	22,70,458
35.	उत्तराखंड	1,05,579
36.	पश्चिम बंगाल	7,15,083
कुल		**1,28,20,361**